समक्ष: बी. आर. तुली और पी. एस. पट्टर जे.

बेदी गुरचरण सिंह और अन्य, *याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और *अन्य, उत्तरदाता।*

1973 का एलपीए 488

24 सितंबर, 1974

पुलिस अधिनियम (*1861* का V) - धारा 30 - भारत का संविधान *(1950)* - अनुच्छेद 14, 19 और 25 - धारा 30 - क्या *अनुच्छेद* 14, 19 *(1)* *(ए)* और *(बी) और* 25 - *सार्वजनिक सभा सड़क, सार्वजनिक सड़क या मार्ग पर आयोजित नहीं की जानी चाहिए - क्या* धारा *30 के तहत आवश्यक* हो ।

ये अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 जिला अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक या जिले या उप-मंडल के मजिस्ट्रेट को पूर्ण या अनिर्देशित शक्ति नहीं देती है कि वे किसी व्यक्ति को सभा आयोजित करने के लिए लाइसेंस दें या नहीं। उस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब, इन अधिकारियों के निर्णय में, एक सार्वजनिक सभा का संग्रह, यदि अनियंत्रित है, तो शांति भंग होने की संभावना होगी और किसी अन्य परिस्थिति में नहीं। इसलिए, इस धारा को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह विधानसभाओं के संचालन और संग्रह को विनियमित करने के लिए इसमें उल्लिखित अधिकारियों को अनिर्देशित या मनमानी शक्ति प्रदान करता है। यदि कोई प्राधिकारी एक आदेश पारित करता है जो पीएफ के अनुसार नहीं है. फ़ारेनहाइट "टाइन सेक्शन, उस आदेश को रद्द किया जा सकता है लेकिन इस खंड को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए अधिनियम की धारा 30 *संविधान के अनुच्छेद 14* के विपरीत नहीं है।

ये **अभिनिर्धारित** किया गया **कि** *इसमें कोई* संदेह नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (बी) और अनुच्छेद 25 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये अधिकार पूर्ण और निरंकुश नहीं हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और (3) के अनुसार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी तरह, विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का स्वतंत्र अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। यदि ऐसी स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती है, तो अधिकारियों को उस अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसके अलावा, धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्र अधिकार इस शर्त के अधीन है कि यह अन्य धर्मों के अनुयायियों के समान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी अन्य धर्म की मण्डली को संबोधित करने का अधिकार नहीं है, अगर यह मण्डली द्वारा नाराज होने की संभावना है और जिससे शांति भंग हो सकती है। समाज के एक सदस्य के रूप में इस तरह के मौलिक अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि समाज के अन्य सदस्यों के समान अधिकार का उल्लंघन न हो। इसलिए धारा 30 संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के तहत है।

यह **अभिनिर्धारित** किया गया **कि** अधिनियम की धारा 30 से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता केवल तभी होती है जब ऐसी सभा सार्वजनिक सड़क पर या सार्वजनिक सड़क या मार्ग पर आयोजित की जानी हो। यदि जिस स्थान पर विधानसभा आयोजित करने का इरादा है, वह न तो सड़क है, न ही सार्वजनिक सड़क और न ही रास्ता, तो यह धारा लागू नहीं होगी और ऐसे स्थान पर विधानसभा आयोजित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील, सिविल रिट सं 2008-2011 में पारित की गई थी। 7 मई, 1973 को 1971 *का* 3254।

अपीलकर्ताओं की ओर *से वकील हरदेव सिंह और वकील नरिंदर सिंह।*

उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट-जनरल *(हरियाणा)* के वकील सी बी कौशिक*।*

निर्णय

तुली जे.- सनातनवादी हिंदू हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में अनाज मंडी के क्षेत्र में अंबाला में बावन द्वादशी मेला मनाते हैं। पंजाब गजेटियर, खंड VII, भाग क 1923-24 (1925 संस्करण) में इस मेले का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया गया है :-

> "यह भादों के महीने में आयोजित किया जाता है। सभी मंदिरों से हिंदू पंथ विज्ञान के देवताओं की छवियां

अंबाला को अनाज मंडी तक जुलूस के रूप में लाया जाता है और वहां से सिविल अस्पताल की इमारतों के सामने नौरंग राय के टैंक में ले जाया जाता है। उत्सव बहुत धूमधाम और समारोह के साथ आयोजित किया जाता है।"

अंबाला जिला गजेटियर 1923-24 (1925 संस्करण) के पृष्ठ 45 पर बावन द्वादशी मेले का भी यही विवरण दिया गया है। गजेटियर के उसी पृष्ठ पर पीर लखी शाह या पंखा मेले का निम्नलिखित विवरण दिया गया है:-

> "पंखा मेला 'रजब' के महीने में आयोजित किया जाता है, यानी ईद से दो महीने पहले। यह मेला पीर लखी शाह के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जिनकी कब्र अंबाला में अनाज मंडी में खड़ी है। पंखे को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और इसलिए मेले का नाम रखा जाता है। कहा जाता है कि संत दिल्ली के सुल्तान कुतुब-उद-दीन ऐबक के समय में विकसित हुए थे। कुछ लोग सोचते हैं कि लखी शाह कोई और नहीं बल्कि खुद कुतुब-उद-दीन ऐबक है। मेले में ज्यादातर स्थानीय लोग शामिल होते हैं। यह हाल ही में स्थानीय मुहम्मदों के बीच महत्व प्राप्त कर लिया है, शायद हिंदुओं के साथ तालमेल रखने के लिए, जो हर साल बावन द्वादशी मेले को मनाने के उत्साह को बढ़ा रहे हैं।

देश के विभाजन से पहले, एक समुदाय के रूप में मुसलमानों ने अंबाला जिले में हिंदुओं को पीछे छोड़ दिया और हिंदुओं और सिखों ने मुख्य रूप से मुसलमानों के दबाव का सामना करने के लिए बावन द्वादशी का त्योहार मनाने के लिए हाथ मिलाया, जिन्होंने विभिन्न अवसरों पर समारोहों को बाधित करने के लिए हिंसा के कृत्यों में शामिल होने की कोशिश की। देश के विभाजन के बाद, मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उस स्थान पर एक सिख गुरुद्वारा स्थापित किया गया जहां पीर लखी शाह का मकबरा मौजूद था।

2. रिट याचिका में कहा गया है कि जिस संगठन से अपीलकर्ता संबंधित हैं, वह बावन द्वादशी मेले के समय समारोहों में भाग लेने वाले कई व्यक्तियों के व्यवहार के तरीके के बारे में चिंतित था। वहां अनियंत्रित दृश्य थे और लोग हिंसा के कृत्यों में लिप्त थे और कई बार शराब के नशे में झड़पें हुईं। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं के संगठन ने मेले के अवसर का उपयोग गुरुद्वारे के बाहर के क्षेत्र में *दीवान* आयोजित करने के लिए करने का प्रयास किया ताकि आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारों के पहलुओं का प्रचार किया जा सके ताकि वहां एकत्र हुए लोगों को सुधारने के वांछित प्रभाव को लाया जा सके। 1956 के बाद से, *गुरुद्वारे के बाहर* धार्मिक और सांस्कृतिक दीवान थे बिना किसी अप्रिय घटना के आयोजित। हालांकि, 1959 में, अपीलकर्ताओं के संगठन को ऐसे *दीवान* रखने का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया था और यह इनकार हर साल दोहराया जाता

था जब लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता था। अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों द्वारा दीवान रखने के लिए आवश्यक लाइसेंस देने से लगातार इनकार करने से व्यथित महसूस किया और बिना किसी लाइसेंस के *दीवान* रखने के अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए, उन्होंने 1971 की सीडब्ल्यू 3254 दायर की, जिसे 7 मई, 1973 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 10 के तहत यह अपील उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

3. पुलिस अधिनियम, 1861 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 30 के तहत उस स्थान पर दीवान *को रखने का लाइसेंस* आवश्यक था। अपीलकर्ताओं को पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के तहत लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 30 निम्नलिखित शब्दों में है -

"30. सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उन्हें लाइसेंस देना। जिला अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, जैसा कि आवश्यकता हो, सार्वजनिक सड़कों पर या सार्वजनिक सड़कों या रास्तों पर सभी सभाओं और जुलूसों के संचालन का निर्देश दे सकते हैं, और उन मार्गों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके द्वारा और किस समय ऐसे जुलूस गुजर सकते हैं।

2. वह इस बात से भी संतुष्ट हो सकता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ऐसी किसी भी सड़क, गली या मार्ग में सभा आयोजित करने या एकत्र करने का इरादा है, या एक जुलूस बनाना है, जो जिले के मजिस्ट्रेट या किसी जिले के उप-मंडल के फैसले में, यदि अनियंत्रित हो, तो शांति भंग होने की संभावना होगी। सामान्य या विशेष नोटिस द्वारा यह आवश्यक है कि ऐसी सभा का आयोजन या संग्रह करने या इस तरह के जुलूस को निर्देशित करने या बढ़ावा देने वाले व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे।

3. इस तरह के आवेदन किए जाने पर, वह लाइसेंसधारकों के नाम निर्दिष्ट करते हुए एक लाइसेंस जारी कर सकता है और उन शर्तों को परिभाषित कर सकता है जिन पर अकेले इस तरह की सभा या इस तरह के जुलूस को होने की अनुमति दी जानी है और अन्यथा इस धारा को लागू किया जा सकता है: बशर्ते कि आवेदन के लिए आवेदन करने या देने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई लाइसेंस।

4. वह त्योहारों और समारोहों के अवसर पर सड़कों पर संगीत का उपयोग करने की सीमा को भी नियंत्रित कर सकते हैं।"

इस धारा से यह स्पष्ट है कि विधानसभा आयोजित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता केवल तभी होती है जब ऐसी सभा सार्वजनिक सड़क पर या सार्वजनिक सड़क या मार्ग पर आयोजित की जानी हो। यदि जिस स्थान पर सभा आयोजित करने का इरादा है, वह न तो सड़क है, न ही सार्वजनिक सड़क और न ही रास्ता, अधिनियम की धारा 30 लागू नहीं होगी और जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि जिस स्थान पर *दीवान* को आयोजित करने का प्रस्ताव है, वह न तो सड़क है, न ही सार्वजनिक सड़क और न ही एक रास्ता है, बल्कि एक सार्वजनिक स्थान है जहां लोगों को इकट्ठा होने का अधिकार है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों का मामला यह है कि वह स्थान एक संपूर्ण मार्ग है और इसलिए, अधिनियम की धारा 30 के तहत दीवान को धारण करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है । जगह की प्रकृति के संबंध में परस्पर विरोधी दावों को देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि तथ्य के इस विवादित प्रश्न को साक्ष्य लेने के बाद सिविल कोर्ट द्वारा बेहतर निर्णय लिया जाएगा। प्रतिवादियों द्वारा विद्वान न्यायाधीश के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि अधिनियम की धारा 30 केवल तभी लागू होगी जब उस स्थान को सड़क, या सार्वजनिक सड़क या मार्ग माना जाता है। पक्षकारों की दलीलों के अलावा, रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है जो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह जगह पूरी तरह से है या नहीं। उत्तरदाताओं ने यह दावा नहीं किया कि यह एक सड़क या सार्वजनिक सड़क है, उनकी दलील है कि यह जगह एक रास्ता है। अपीलकर्ताओं ने अपनी रिट याचिका के साथ साइट की एक योजना संलग्न की जो दर्शाती है कि अनाज मंडी चार सेक्टरों में विभाजित एक गोलाकार क्षेत्र है। जिस सेक्टर में गुरुद्वारा स्थापित किया गया है, वहां कई दुकानें हैं और खाली जगह विपरीत सेक्टर की तुलना में बहुत कम है जहां बावन द्वादशी मेला आयोजित किया जाता है। पार्टियों का यह स्वीकार किया गया मामला है कि जिस सेक्टर में बावन द्वादशी मेला आयोजित किया जाता है, उसका उपयोग आम तौर पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाता है और वहां कांग्रेस के झंडे को फहराने वाला एक ध्वज-स्तंभ होता है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि इस स्थान पर कई बार राजनीतिक बैठकें हो चुकी हैं और अभी भी जारी हैं। इसलिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिस स्थान पर बावन द्वादशी मेला आयोजित किया जाता है, वह एक सार्वजनिक स्थान है, जबकि योजना को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गुरुद्वारा कैसे मौजूद है। इसलिए, हम विद्वान न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस मामले में पूर्ण साक्ष्य लेने के बाद एक नियमित मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि निर्णय एक दूरगामी महत्व का होगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या लाइसेंस रखने के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

बेदी गुरचरण सिंह आदि थे। ***हरियाणा*** राज्य और अन्य (तुली, जे)

भविष्य में उस स्थान पर सभा करें या नहीं। इस प्रकार इस मामले के बारे में अनिश्चितता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।

(4) एक अन्य बिंदु जो हमारे समक्ष तर्क दिया गया है, अधिनियम की धारा 30 की संवैधानिक वैधता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को धारा में उल्लिखित स्थानों पर सभा आयोजित करने के लिए लाइसेंस देने या न देने की मनमानी शक्ति दी गई है। रिलायंस *को हिमत लाल* के. *शाह* बनाम *पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद एक और (*ए.आई.आर. 1973 एस.सी., 87*)* पर *रखा गया है* जिसमें बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 (एल) (ओ) के तहत पुलिस आयुक्त द्वारा बनाए गए नियम 7 को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह कोई मार्गदर्शन नहीं देता है और पुलिस आयुक्त को मनमानी शक्ति देता है। बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 I (1) (o) में प्रावधान है:

> "33 (1) आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, अपने संबंधित प्रभारों के अधीन क्षेत्रों में या उसके किसी भाग में, इस अधिनियम के साथ असंगत नियमों या आदेशों को बना सकते हैं, बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं;
>
> * * * * *
>
> (ओ) सड़कों पर या उसके आस-पास सभाओं और जुलूसों का गठन करने वाले व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार या कार्रवाई को विनियमित करना और जुलूसों के मामले में उन मार्गों को निर्धारित करना, जिनके द्वारा, किस क्रम में और किस समय पारित किया जा सकता है।

पुलिस आयुक्त द्वारा उस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियम 7 में निम्नानुसार है -

> "7. अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक सड़क पर लाउडस्पीकर के साथ या उसके बिना कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, जब तक कि पुलिस आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी से लिखित में आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

यह देखा गया कि धारा 33 I (l) (o) –

> "नियम बनाने को उन व्यक्तियों के आचरण, व्यवहार या कार्रवाई को 'विनियमित' करने के लिए अधिकृत करता है जो इसके सदस्य हैं। नियम 7 निहित रूप से आयुक्त को शक्ति देता है|

> सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करना और, जब कोई बैठक निषिद्ध है, तो विधानसभा का गठन करने वाले व्यक्तियों के आचरण, व्यवहार या कार्रवाई को विनियमित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूर्व-हाइपोथीसी के रूप में, किसी भी विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। उप-धारा किसी सभा के गठन से पहले व्यक्तियों के आचरण, व्यवहार या कार्रवाई को विनियमित करने के लिए नियम बनाने को अधिकृत नहीं करती है।

यह भी कहा गया कि विधानसभा की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अनिवार्य तत्व है और भारत के संविधान निर्माताओं को पता था कि सार्वजनिक सड़कों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित की जा रही थीं और जनता इसे नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के हिस्से के रूप में मानती थी। सार्वजनिक सभा का मौलिक अधिकार प्रदान करना निरर्थक कवायद होती, अगर सरकार और स्थानीय अधिकारी कानूनी रूप से सभी सामान्य स्थानों को बंद कर सकते थे, जहां अकेले अधिकांश लोग अधिकार का उपयोग कर सकते थे। यदि सार्वजनिक सड़क पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने का मौलिक अधिकार है, तो नियम 7 जैसा नियम, जो एक अनिर्देशित विवेक देता है, व्यावहारिक रूप से सार्वजनिक सड़क पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए एक प्राधिकरण की व्यक्तिपरक बुद्धि पर निर्भर करता है, को वैध नहीं माना जा सकता है। नियम में उन कारणों का कोई उल्लेख नहीं है जिनके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। "स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सभा के क्षेत्र में व्यापक रोगनिरोधी नियम संदिग्ध हैं। विनियमन की सटीकता एक ऐसे क्षेत्र में कसौटी होनी चाहिए जो हमारी बहुमूल्य स्वतंत्रता को इतनी बारीकी से छू ता है", जैसा कि *नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल* बनाम *बटन* ((1963) 871 यू.एस. 415 पृष्ठ 438). *में देखा गया* है

5. वह मामला स्पष्ट रूप से हाथ में मामले से अलग है। अधिनियम की धारा 30 जिला अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक या जिले या उप-मंडल के मजिस्ट्रेट को पूर्ण या अनिर्देशित शक्ति नहीं देती है कि वे किसी सभा के आयोजन के लिए लाइसेंस दें या न दें। उस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब, जिले के मजिस्ट्रेट या किसी जिले के उप-मंडल के निर्णय में, एक सभा का संग्रह, यदि अनियंत्रित हो, तो शांति भंग होने की संभावना होगी और किसी अन्य परिस्थिति में नहीं। इसलिए, इस धारा को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह इसमें उल्लिखित अधिकारियों को अनिर्देशित या मनमानी शक्ति प्रदान करता है।विधानसभाओं के संचालन और संग्रह को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए। यदि कोई प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित करता है जो मैं धारा के प्रावधानों के अनुसार नहीं हूं, तो उस आदेश को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन धारा को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, विद्वान वकील की दलील को खारिज कर दिया जाता है।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री हरदेव सिंह ने तब जोरदार तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (बी) और अनुच्छेद 25 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार निरंकुश और निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 19 (2) और (3) के अनुसार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी तरह, विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का स्वतंत्र अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। यदि ऐसी स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती है, तो अधिकारियों को उस अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। अपीलकर्ताओं ने अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1963 में पारित दो आदेशों की प्रतियां दायर की हैं। एक आदेश (प्रति अनुलग्नक 'जी') में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया था कि प्रतिद्वंद्वी दलों का इरादा 29 अगस्त, 1963 से 31 अगस्त, 1963 तक बावन द्वादशी मेले के अवसर पर अनाज मंडी (अनाज मंडी) के क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और रास्तों पर सार्वजनिक बैठकें और जुलूस आयोजित करने का था। बैठकों और जुलूसों को ठीक से विनियमित और नियंत्रित नहीं किए जाने की स्थिति में शांति। इसलिए, उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी बैठकों या जुलूसों को आयोजित करने का इरादा रखने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसी बैठकों या जुलूसों को आयोजित करने से पहले अधिनियम की धारा 30 (2) के तहत आवश्यक लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। बिना लाइसेंस के ऐसी किसी भी सभा या जुलूस को गैरकानूनी माना जाएगा और कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री मोहन सिंह लांबा, अपीलकर्ता ने श्री गुरु सिंह सभा-उत्तरी मैदान के बाहर बावन द्वादशी मेले के दिनों में दीवान आयोजित करने के लिए लाइसेंस के लिए एक आवेदन दायर किया । उस आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि सनातन धर्म सभा, अंबाला शहर के साथ आवेदन में उल्लिखित समझौते को उस संगठन द्वारा वापस ले लिया गया था; आवेदन में स्वीकार किया गया है कि अनाज मंडी क्षेत्र में बावन द्वादशी मेला आयोजित करने का पारंपरिक अधिकार केवल सनातन धर्म सभा, अंबाला शहर में निहित है और अंबाला शहर में हिंदू और सिख समुदायों के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए और इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए।

उन्होंने 29 से 31 अगस्त, 1963 तक बावन द्वादशी मेले में अंबाला शहर के अनाज मंडी क्षेत्र में किसी भी दीवान को आयोजित करने के लिए लाइसेंस जारी करने में असमर्थता पर खेद व्यक्त किया। हालांकि, आवेदक को इस तरह के दीवान को कहीं और रखने की अनुमति दी गई थी ताकि शांति भंग होने का कोई खतरा न हो। इसी तरह का जवाब अपीलकर्ता श्री करतार सिंह टक्कर को दिया गया था, जिन्होंने 29 अगस्त से 31 अगस्त, 1963 तक दीवान आयोजित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिस दिन बावन द्वादशी मेला आयोजित किया जाना था। बाद के वर्षों में भी, बावन द्वादशी मेले के दिनों में दीवान आयोजित करने और लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति से इनकार कर दिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लाइसेंस से इनकार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष कारण यह बताया गया था कि अगर सिखों को बावन द्वादशी मेले के दिनों में गुरुद्वारे के सामने उस स्थान पर *दीवान* आयोजित करने की अनुमति दी जाती है तो शांति भंग होने की आशंका थी , जो उस स्थान के करीब था जिस पर मेला आयोजित किया जाना था। रिट याचिका के जवाब में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दायर लिखित बयान में यह भी कहा गया है कि पूरे पंजाब और हरियाणा राज्यों में किसी भी अन्य गुरुद्वारे ने बावन द्वादशी मेले के दिनों में किसी भी स्थान पर इस तरह के *दीवान* का आयोजन नहीं किया है, जो दर्शाता है कि सिख समुदाय के मन में बावन द्वादशी मेले की कोई विशेष पवित्रता नहीं है। यदि वे बावन अवतार का सम्मान करना चाहते हैं, तो वे देश के विभाजन से पहले हिंदुओं के उत्सवों में शामिल हो सकते हैं। यह भी याद रखना होगा कि गुरुद्वारा सिंह सभा की स्थापना अनाज मंडी में देश के विभाजन के बाद उस स्थान पर की गई थी जहां पीर लखी शाह का मकबरा मौजूद था। इसका कोई विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है और अंबाला शहर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जिनके प्रबंधन ने कभी बावन द्वादशी त्योहार मनाने के बारे में नहीं सोचा था।

7. याचिका में स्वीकार किया गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के तहत बावन द्वादशी मेले के दिनों में अकाली बैठकों के आयोजकों द्वारा गिरफ्तारियां की गई थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिला मजिस्ट्रेट का यह फैसला कि अगर सिखों द्वारा साइट पर *दीवान* रखने की अनुमति दी जाती है तो शांति भंग होने की आशंका थी, निराधार नहीं था। अपीलकर्ताओं या उनके संगठन जो पंजाब और हरियाणा राज्यों में सैकड़ों गुरुद्वारों का संचालन करते हैं, ने कभी भी अनाज मंडी में गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर किसी अन्य दिन इस तरह के *दीवान* का आयोजन नहीं किया है । धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्र अधिकार इस शर्त के अधीन है कि यह अन्य धर्मों के अनुयायियों के समान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रचार के लिए किसी अन्य धर्म की मण्डली को संबोधित करने का अधिकार है, अगर यह मण्डली द्वारा नाराज होने की संभावना है और जिससे शांति भंग हो सकती है। इस तरह का मौलिक अधिकार है

समाज के सदस्य के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि समाज के अन्य सदस्यों के समान अधिकार का उल्लंघन न हो। इसलिए, हमें विद्वान वकील की इस दलील में कोई दम नहीं दिखता है

कि अपीलकर्ताओं को बावन द्वादशी मेले के विशेष दिनों में दीवान आयोजित करने से रोकना किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के तहत गारंटीकृत अपीलकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

8. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, हमें इस याचिका में कोई दम नहीं मिलता है जिसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

पट्टर न्यायमूर्ति- मैं सहमत हूं।

बी.एस.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा ।